

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

प्रकरण क्र./0012/2019-20/अ-20(नजूल)

पोहरी विधानसभा क्षेत्र में पोहरी के पास नवीन सरकुला मध्यम सिचाई योजना के निर्माण में डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि के एवज में प्रतिपूरक आवंटित की गई राजस्व भूमि वापिस लेने के संबंध में

//संशोधित आदेश//

(आज दिनांक 20/11/2021 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्रकरण क्र.12/2019-20/अ-20(3)/नजूल पारित आदेश दिनांक 11.11.2019 से प्रभावित वन भूमि के एवज में तहसील शिवपुरी ग्राम टोंका की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 590 रकवा 4.00 हैक्टेयर में से 3.40 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 610 रकवा 0.90 हैक्टेयर में से 0.50 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 611 रकवा 1.00 हैक्टेयर में से 1.00 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1699 रकवा 140.92 हैक्टेयर में से 136.00 हैक्टेयर भूमि इसी प्रकार ग्राम खोईया के शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 01 रकवा 40.15 हैक्टेयर में से 24.80 हैक्टेयर एवं ग्राम ख्यावदा खुर्द के शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 61 रकवा 9.11 हैक्टेयर में से 4.60 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 63 रकवा 7.99 हैक्टेयर में से 7.50 हैक्टेयर सर्वे क्रमांक 82 रकवा 5.30 हैक्टेयर में से 4.30 हैक्टेयर सर्वे क्रमांक 83 रकवा 9.87 हैक्टेयर में से 8.00 हैक्टेयर इस प्रकार तीनों ग्रामों की कुल भूमि 190.10 हैक्टेयर सरकुला मध्यम योजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि के बदले राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तांतरण की गई थी। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शिवपुरी ने पत्र क्रमांक 1094/कार्य/सरकुला/मासि/परि./2021 दिनांक 03.04.2021 से अवगत कराया है कि निर्माण एजेंसी द्वारा किये गये सर्वे के उपरांत यह पाया है कि उक्त परियोजना के डूब से प्रभावित होने वाली वन भूमि 117.24 हैक्टेयर एवं परियोजना के विभिन्न अवयवों जैसे रोड़, स्पिलवे, स्वीचयार्ड, पंप हाउस कंट्रोलरूम, विल्डिंग पावर लाईन इत्यादि के निर्माण हेतु 9.26 हैक्टेयर, वन भूमि कुल 126.50 हैक्टेयर वन भूमि ही प्रभावित होगी। इस कारण से परियोजना निर्माण से प्रभावित 126.50 हैक्टेयर वन भूमि के बदले ग्राम टोंका के सर्वे क्रमांक 1699 रकवा 140.92 में से पूर्व में आवंटित 136.00 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर 126.50 हैक्टेयर भूमि को छोड़कर शेष पूर्व आवंटित भूमि वापिस किये जाने का अनुरोध किया है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी से प्रस्ताव मंगाया गया। नायब तहसीलदार शिवपुरी द्वारा अपने प्रकरण 04/2021-22/बी-121 प्रतिवेदन दिनांक 12.04.2021 से प्रतिवेदित किया है कि ग्राम टोंका स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1699 रकवा 140.92 हैक्टेयर अक्श-नक्शा में बटांकन प्रस्तावित किये हैं जिसके मुताबिक सर्वे क्रमांक 1699/1/1 एवं सर्वे क्रमांक 1699/1/3 को छोड़कर सर्वे क्रमांक 1699/1/2 रकवा 126.50 हैक्टेयर भूमि वन विभाग को हस्तांतरण किये जाने हेतु प्रस्तावित किया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी ने प्रकरण क्रमांक 4/बी-121/2021-22 प्रतिवेदन दिनांक 15.04.21 से नायब तहसीलदार शिवपुरी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया है।

अतः अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी एवं नायब तहसीलदार शिवपुरी के प्रतिवेदन जिला नजूल निर्वर्तन समिति की अनुशंसा, मध्य प्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के अध्याय-2 की कण्डिका 18 (राज्य शासन के किसी विभाग से अनुपयोगी भूमि का वापिस लिया जाना) के तहत ग्राम टोंका स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1699 रकवा 140.92 हैक्टेयर अक्श-नक्शा में बटांकन प्रस्तावित किये हैं जिसके मुताबिक सर्वे क्रमांक 1699/1/1 एवं सर्वे क्रमांक 1699/1/3 को छोड़कर सर्वे क्रमांक 1699/1/2 रकवा 126.50 हैक्टेयर भूमि जो नक्शे में लाल स्याही से दर्शित है। इसे छोड़कर शेष 9.50 हैक्टेयर भूमि जिसका उपयोग सरकुला परियोजना में न होने से, राजस्व भूमि में सम्मिलित की जाती है। तथा इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 11.11.2019 में आदेशित

संसोधन किया जाता है। यह आदेश भी पूर्व पारित आदेश दिनांक 11.11.2019 संलग्न अक्श-नक्शा भी आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार शिवपुरी वापिस ली गई राजस्व भूमि का खसरे में अमल कराये एवं शेष भूमि का संबंधित विभाग को सीमांकन कराकर सौंपा जावे। खसरा प्रति 07 दिवस में प्रकरण में संलग्न करावे। बाद कार्यवाही प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो।

कलेक्टर

जिला शिवपुरी (म.प्र.)

प्रकरण क्र./0012/2019-20/अ-20(4)नजूल 528-537 शिवपुरी दिनांक 20.04.2022
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. वन संरक्षक, वृत्त शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।
5. वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. तहसीलदार शिवपुरी की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि भूमि का राजस्व अभिलेख में अमल कराया जाकर संबंधित विभाग को भूमि का सीमांकन कराया जाकर अधिपत्य दिलाये एवं रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।
9. अधीक्षक, भू-अभिलेख शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. राजस्व निरीक्षक नजूल(भू-अभिलेख) शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर

जिला शिवपुरी (म.प्र.)

1167
26-4-21



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

फार्म पी -II

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करों का ब्यौरा रुपये पैसे में

खसरा

ग्राम: टोका	हल्का : 47-टोंका	रा.नि.मं. : 02-शिवपुरी	तहसील : शिवपुरी	जिला : शिवपुरी	वर्ष: 2019-2020						
क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मोरूसी कारतक़र के उप-पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि	क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई	पड़ती का क्षेत्रफल	अन्य पड़ती 2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक	खाते के बाहर के क्षेत्रों में बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कृषियत्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1699	140.9200 NA अन्य 140.9200पहाड़ 140.9200	(शासकीय)									कलेक्टर महोदय के प्र.क्र. 12/2019-20/अ-20 3 न जूल में पारित आदेश दि नॉक 11/11/2019 के न वीन सरकार मध्य प्रदेश न के डुब क्षेत्र में अन्ने से वेकल्पिक वृक्षारोपण हेतु 136 हेक्टर भूमि के विभा ग को हस्तान्तरित किया गई।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।